रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2938] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938
No. 2938] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ.4030(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1780 (अ) तारीख 30 जून, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में किन्ही व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

और, सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के सिद्धि, सिंगरौली, सतना और शहडोल जिलों में स्थित है और यह सोन गोपड़ तथा बानस नदियों के दोनों नदी तटों पर 209 किलोमीटर की लंबाई एवं 200 मीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है;

और, वन्यजीव अभयारण्य निर्जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा मत्स्यों, उभयचरों, सरीसृपों और पक्षियों की विभिन्न किस्मों को जीवन देता है और अभयारण्य के महत्वपूर्ण जलीय जीव-जंतुओं में घड़ियाल(*गेवियेलिस गेंगेटिक्स*), मगर(*क्रोकोडयलस*) और कछुए(*टेस्टुडिंस एसपी.*) सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य में मुख्य जलीय और अर्ध जलीय वनस्पतियों की प्रजातियों में *हायड्रिला, वेलिसनिरिया, पोटामोजिटोन, निटेला, कैरा, टाईफा* और अन्य प्रजातियां पायी जाती हैं;

और, सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र को सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 424 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) अक्षांश और देशांतर के साथ वन्यजीव अभयारण्य तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 122 ग्रामों की सूची इसके अक्षांशों और देशांतरों के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(9) मध्य प्रदेश राज्य की सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

IndiaCode

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 12, 17, 23, 32 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग, के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटलों और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नया विस्फोटक भंडार गृह स्थापित नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत, सिंचाई परियोजनाओं और सिंचाई परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकते हैं ; परंतु यह और कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी अवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा।
(10)	बकरी पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप A	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना निर्देशों का पालन किया जाएगा ।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा ।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।

(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणालियों में प्रबल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	खाई-स्थल ।	कोई नई खाई स्थापित नहीं की जाएगी । तथापि, विद्यमान खाई स्थल का प्रचालन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि खुले में अग्नि जलाने की अनुमति न हो ।
(28)	दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(31)	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(32)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(36)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सोलर लाईट आदि को बढावा दिया जाएगा ।
(37)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(38)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(39)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

India Code

5. मानीटरी समिति-(1) केंद्रीय सरकार, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	प्रभागीय आयुक्त, रेवा	अध्यक्ष ;
(ख)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ग)	पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(घ)	जिला कलेक्टर, सिद्धि	सदस्य;
(ङ)	जिला कलेक्टर, सिंगरौली	सदस्य;
(च)	जिला कलेक्टर, सतना	सदस्य;
(छ)	जिला कलेक्टर, शहडौल	सदस्य;
(ज)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, सिंगरौली	सदस्य;
(झ)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी, सिंगरौली	सदस्य;
(ञ)	जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंगरौली	सदस्य;
(ट)	नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ठ)	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ड)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(ढ)	क्षेत्र निदेशक, संजय व्याघ्र आरक्षिति, सिद्धि	सदस्य-सचिव।

निर्देश - निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

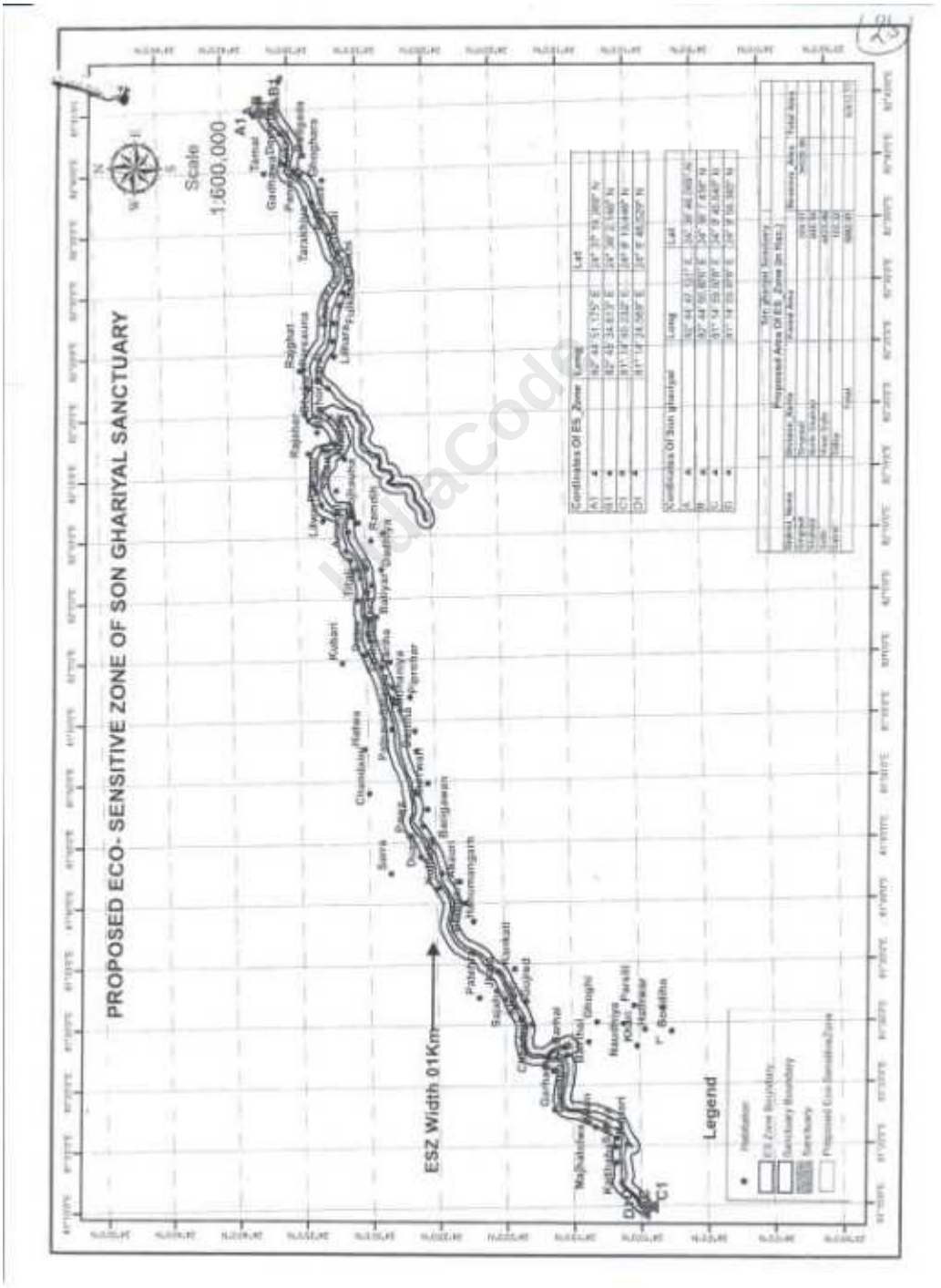
6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

IndiaCode

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक		
	देशांतर	**अक्षांश**
क	82⁰44’47.131’’पू	24⁰36’46.069’’उ
ख	82⁰44’50.876’’ पू	24⁰36’7.438’’ उ
ग	82⁰14’59.978 पू	24⁰9’45.640’’ उ
घ	82⁰14’59.978 पू	24⁰9’56.385’’ उ

सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक		
	देशांतर	**अक्षांश**
क1	82⁰44’51.175’’ पू	24⁰37’19.269’’ उ
ख2	82⁰45’34.613’’ पू	24⁰36’2.146’’ उ
ग3	82⁰14’55.232’’ पू	24⁰9’13.446’’ उ
घ4	82⁰14’24.569’’ पू	24⁰9’48.529’’ उ

IndiaCode

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के निर्देशांकों के साथ सूची

क्र.सं	स्थान का नाम	अक्षांश - डी	अक्षांश - एम	अक्षांश - एस	देशांतर - डी	देशांतर - एम	देशांतर - एस	अक्षांश - डीडी	देशांतर - डीडी
1	परसिली	24	10	21.73	81	31	26.94	24.1727	81.52415
2	चमराडोल	24	8	19.2	81	31	12	24.13867	81.52
3	खारी	24	10	10.76	81	28	8.7	24.16966	81.46908
4	नौधिया	24	11	10.76	81	29	57.6	24.18632	81.49933
5	घोघी	24	13	8.8	81	30	7.52	24.21911	81.50209
6	साज्झा	24	19	58.04	81	32	6.04	24.33279	81.53501
7	खाताई	24	31	30.47	82	33	23.11	24.52513	82.55642
8	गंगी	24	31	9.71	82	29	58.46	24.51936	82.49957
9	खईरा	24	31	55.52	82	27	32.58	24.53209	82.45905
10	तारिया	24	28	51.93	81	59	20.2	24.48109	81.98894
11	सारा	24	28	24.021	81	42	31.623	24.47334	81.70878
12	दोरा	24	26	9.768	81	43	51.2	24.43605	81.73089
13	पावा	24	27	0.764	81	45	35.107	24.45021	81.75975
14	धारोली खुर्द	24	32	3.22	82	26	4.72	24.53423	82.43464
15	लिलिहारा	24	31	59.45	82	24	45.67	24.53318	82.41269
16	परसुवाना	24	33	76	82	23	47.79	24.57111	82.39661
17	शिकारागंज	24	17	8.207	81	26	36.579	24.28561	81.44349
18	झाला	24	20	32.169	81	32	46.16	24.34227	81.54616
19	राजघाट	24	34	34.58	82	23	38.43	24.57627	82.39401
20	खैरपुर	24	33	54.549	82	22	13.857	24.56515	82.37052
21	खुनझुन खुर्द	24	30	27.53	82	11	11.16	24.50765	82.18643
22	खुनझुन काला	24	30	36.175	82	11	13.074	24.51005	82.18697

क्र.सं	स्थान का नाम	अक्षांश - डी	अक्षांश - एम	अक्षांश - एस	देशांतर - डी	देशांतर - एम	देशांतर - एस	अक्षांश - डीडी	देशांतर - डीडी
23	अतरैला	24	30	37.13	82	7	25.53	24.51031	82.12376
24	झोखा	24	30	54.109	82	7	12.94	24.51503	82.12026
25	तेलिई	24	29	30.134	82	6	5.686	24.4917	82.10158
26	पनवार	24	34	13.355	82	39	37.466	24.57038	82.66041
27	गधवा	24	35	33.63	82	40	41.54	24.59268	82.67821
28	बाधहोर	24	33	20.74	82	18	40.56	24.55576	82.31127
29	मदारिया	24	32	8.94	82	17	46.06	24.53582	82.29613
30	खुबरी	24	31	50.47	81	59	44.52	24.53069	81.9957
31	भितारी	24	26	31.11	81	49	10.51	24.44198	81.81959
32	दिथोरा	24	20	26.36	81	34	24	24.34066	81.57333
33	घुघाटा	24	19	13.35	81	31	26.38	24.32038	81.52399
34	चदरेह	24	18	1.11	81	30	0	24.30031	81.5
35	दुर्गापुर	24	15	23.99	81	27	26.46	24.25666	81.45735
36	कुन	24	13	20.61	81	21	33.17	24.22239	81.35921
37	मझाटोलवा	24	13	49.21	81	21	57.7	24.23034	81.36603
38	बाघर्द धबाई	24	16	26.6	81	26	9.41	24.27406	81.43595
39	गुजरेद	24	18	23.52	81	31	56.93	24.30653	81.53248
40	चंदानी	24	29	56.85	81	49	2.2	24.49913	81.81728
41	देवघाटा	24	26	29.45	81	54	5.05	24.44151	81.9014
42	तेरिहा	24	28	54.13	81	59	21.27	24.4817	81.98924
43	हनुमानगढ़	24	22	16.81	81	38	30.62	24.37134	81.64184
44	खैरी	24	18	49.81	81	30	26.65	24.31384	81.5074
45	साजहा	24	19	59.58	81	32	5.22	24.33322	81.53478
46	अकोरी	24	23	15.47	81	41	46.2	24.38763	81.69617
47	नक्जहाखुर्द	24	32	2.91	82	13	52.14	24.53414	82.23115
48	केकराई	24	34	31.88	82	40	1.42	24.57552	82.66706
49	घोघरा	24	32	33.22	82	39	12.75	24.54256	82.65354
50	बर्दी	24	32	28.95	82	22	14.55	24.54138	82.37071
51	लवारा पीपखार	24	31	41.68	82	19	33.95	24.52824	82.3261
52	लवार नंकारा	24	32	25.18	82	19	53.88	24.54033	82.33163
53	खौतली	24	31	21.93	82	16	28.45	24.52276	82.27457
54	नकझर कलान	24	30	58.11	82	12	3.69	24.51614	82.20103
55	लिवार	24	33	5.16	82	11	24.29	24.55143	82.19008
56	रामपुर	24	33	8.7	82	12	43.38	24.55242	82.21205
57	अमदई	24	31	24.44	82	8	53.57	24.52346	82.14821
58	रामनगर खुर्द	24	31	13.8	82	10	26.43	24.5205	82.17401
59	बलीयार	24	29	11.16	82	3	30.48	24.48643	82.05847
60	रामडीह	24	28	37.69	82	10	18.36	24.47714	82.17177
61	खेतोही	24	28	16.32	81	59	44.91	24.4712	81.99581
62	चमरोहा	24	31	7.5	82	8	9.6	24.51875	82.136
63	चितावल खुर्द	24	32	58.74	82	36	13.41	24.54965	82.60373
64	पतपारा	24	28	9.03	81	54	15.99	24.46918	81.90444

IndiaCode

क्र.सं	स्थान का नाम	अक्षांश - डी	अक्षांश - एम	अक्षांश - एस	देशांतर - डी	देशांतर - एम	देशांतर - एस	अक्षांश - डीडी	देशांतर - डीडी
65	सलाई	24	28	3.18	81	56	22.79	24.46755	81.93966
66	तमाई	24	36	50.23	82	39	52.54	24.61395	82.66459
67	खजई	24	33	10.65	82	20	32.73	24.55296	82.34243
68	धोबही	24	33	0.17	82	17	18	24.55005	82.28833
69	सताई	24	33	50.66	82	14	26.22	24.56407	82.24062
70	सियावल	24	33	26.73	82	13	46.51	24.55743	82.22959
71	धेकू	24	33	34.09	82	19	59.48	24.55947	82.33319
72	चिकनी	24	30	51.61	82	30	57.49	24.51434	82.51597
73	रेहादा	24	32	6.53	82	34	51.05	24.53515	82.58085
74	हतवा	24	30	15.61	81	52	40.24	24.50434	81.87784
75	देमहा	24	26	23.02	81	52	27.72	24.43973	81.87437
76	रोझाउहा	24	30	59.052	82	11	42.643	24.5164	82.19518
77	कुकारॉव	24	30	44.919	24	30	44.919	24.51248	24.51248
78	पिपरोहर	24	26	48.77	81	56	52.88	24.44688	81.94802
79	कोलदाहा	24	24	53.433	81	41	15.972	24.41484	81.68777
80	मोहनिया	24	27	31.846	81	55	50.29	24.45885	81.93064
81	झागरी	24	19	19.401	81	32	21.389	24.32206	81.53927
82	उमरिया	24	29	31.02	82	9	43	24.49195	82.16194
83	दावा	24	30	5.811	82	0	25.257	24.50161	82.00702
84	बहेरा	24	29	42.563	82	1	32.218	24.49516	82.02562
85	बारिगवान	24	25	10.955	81	45	6.631	24.41971	81.75184
86	कुरवाह	24	25	33.46	81	49	50.16	24.42596	81.8306
87	भेलकी खुर्द	24	25	37.2	81	47	42.22	24.427	81.79506
88	भोलगर	24	22	52.65	81	39	59.32	24.38129	81.66648
89	तितली	24	30	35.8	82	4	53.69	24.50994	82.08158
90	थतारा	24	35	27.71	82	47	34.65	24.59103	82.79296
91	छिवालहावा	24	35	35.41	82	47	16.95	24.59317	82.78804
92	गोदगावन	24	37	32.59	82	44	33.58	24.62572	82.74266
93	कनकटी	24	19	14.29	81	34	34.27	24.32064	81.57619
94	बईरीहई	24	13	47.27	81	28	31.68	24.2298	81.47547
95	पतेहरा	24	21	55.03	81	32	15.09	24.36529	81.53753
96	सेहुदा विरान	24	29	54.27	82	5	32.32	24.49841	82.09231
97	दुराव विरान	24	29	54.83	82	7	25.35	24.49856	82.12371
98	सरसेदा	24	33	11.49	82	22	54.45	24.55319	82.38179
99	दधिया	24	28	45.85	82	7	20.71	24.4794	82.12242
100	सरिया	24	11	50.6	81	19	54.02	24.19739	81.33167
101	कईथाहा	24	11	45.6	81	18	34.82	24.196	81.30967
102	हथवार	24	9	34.1	81	29	27.72	24.15947	81.49103
103	बोद्दीहा	24	7	36.33	81	29	17.77	24.12676	81.48827
104	पईपखारा	24	12	38.18	81	21	33.64	24.21061	81.35934
105	बरजाई	24	15	34.17	81	28	3.66	24.25949	81.46768
106	बजरिया	24	37	9.854	82	45	47.821	24.6194	82.76328

IndiaCode

क्र.सं	स्थान का नाम	अक्षांश - डी	अक्षांश - एम	अक्षांश - एस	देशांतर - डी	देशांतर - एम	देशांतर - एस	अक्षांश - डीडी	देशांतर - डीडी
107	केसाउलि	24	33	58.973	82	19	39.34	24.56638	82.32759
108	ताराखिया	24	33	18.24	82	37	25.65	24.55507	82.62379
109	फुलकेश	24	31	28.72	82	28	59.9	24.52464	82.48331
110	दीघर	24	35	36.8	82	43	2.08	24.59356	82.71724
111	बदगादा	24	33	55.62	82	41	14.95	24.56545	82.68749
112	दमगडी	24	33	40.84	82	14	15.62	24.56134	82.23767
113	खदबड़ा	24	30	9.65	82	3	34.68	24.50268	82.05963
114	केसोली	24	34	3.82	82	16	57.89	24.56773	82.28275
115	कोतदर कला	24	28	7.27	81	56	47.7	24.46869	81.94658
116	कोतदर खुर्द	24	28	4.9	81	57	42.08	24.46803	81.96169
117	कथोताहा	24	24	35.73	81	42	28.91	24.40993	81.70803
118	भेलकी कला	24	25	56.504	81	46	23.811	24.43236	81.77328
119	गरहारा	24	16	25.45	81	22	59.818	24.27374	81.38328
120	हरियारी	24	11	45.316	81	20	37.057	24.19592	81.34363
121	मरसरहा	24	29	40.488	82	3	17.583	24.49458	82.05488
122	राजाबार	24	34	15.889	82	20	9.808	24.57108	82.33606

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान.-

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

[फा.सं. 25/62/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O.4030(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1780 (E), dated 30th June, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

And Whereas, the Son Gharial Wildlife Sanctuary is located in Sidhi, Singrauli, Satna and Shahdol Districts of Madhya Pradesh and it is spread over 209 kilometer of length and 200 meters width on both river banks of Son Gopad and Banas Rivers;

And Whereas, the Wildlife Sanctuary falls in the arid zone and supports many species of fishes, amphibians, reptiles and birds and important aquatic fauna of the Sanctuary include Gharial (*Gavialis gangeticus*), Mugger (*Crocodylus palustris*), and turtles (*Testudines sp.*);

And Whereas, the major aquatic and semi aquatic vegetation found in the sanctuary includes *Hydrilla, Vallisnaria, Potamogeton, Nitella, Chara, Typha* and other species;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Son Gharial Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of one kilometer from the boundary of the Son Gharial Wildlife Sanctuary, in the State of Madhya Pradesh as the Son Gharial Widlife Sanctuary Eco-sensitive zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometer from the boundary of the Son Gharial Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 424 square kilo meters.

(2) The map of Eco sensitive Zone, Co-ordinates of Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure I.**

(3) The list of 122 villages falling within Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forests,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(viii) Madhya Pradesh State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation

(x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of Forest, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Governments of Madhya Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forest, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 17, 23, 32 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

IndiaCode

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
(ii) Widening and strengthening of existing roads;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Rainwater harvesting; and
(v) Cottage industries including village etc

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall in accordance with the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forest and Environment of the Madhya Pradesh State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs and other natural heritages shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste in the Eco-sensitive Zone shall be disposed of in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted;

(c) No new explosive godown shall be established within the Eco-sensitive Zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Goat Farming .	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted

Incomplete

		within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forest and Protected Forest the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(ii) Promote underground cabling
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated as per laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for

	water bodies or land area.	disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per laws.
25.	Air and vehicular pollution	Regulated as per laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated as per laws.
27.	Trenching ground.	No new trenching shall be established. However, existing trenching ground will be operated subject to the condition that no open burning will be allowed.
28.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated as per laws.
29.	Solid Waste management.	Regulated as per laws.
30.	Eco-tourism activities.	Regulated as per laws.
Promoted Activity		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted as per laws.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted
37.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) Divisional Commissioner, Rewa - Chairman

(ii) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case – Member

(iii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case – Member

(iv) District Collector, Sidhi – Member

(v) District Collector, Singrauli – Member

(vi) District Collector, Satna – Member

(vii) District Collector, Shahdol – Member

(viii) Superintending Engineer, Public Works Department, Singrauli – Member

(ix) Superintending Engineer, Public Health Engineering, Singrauli – Member

(x) CEO of District Panchayat Singrauli	–	Member
(xi) Representative of the Town and Country Planning Department	–	Member
(xii) Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board	–	Member
(xiv) Member of State Bio Diversity Board	–	Member
(xv) Field Director, Sanjay Tiger Reserve, Sidhi	–	Member-Secretary

Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forest shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure III**.

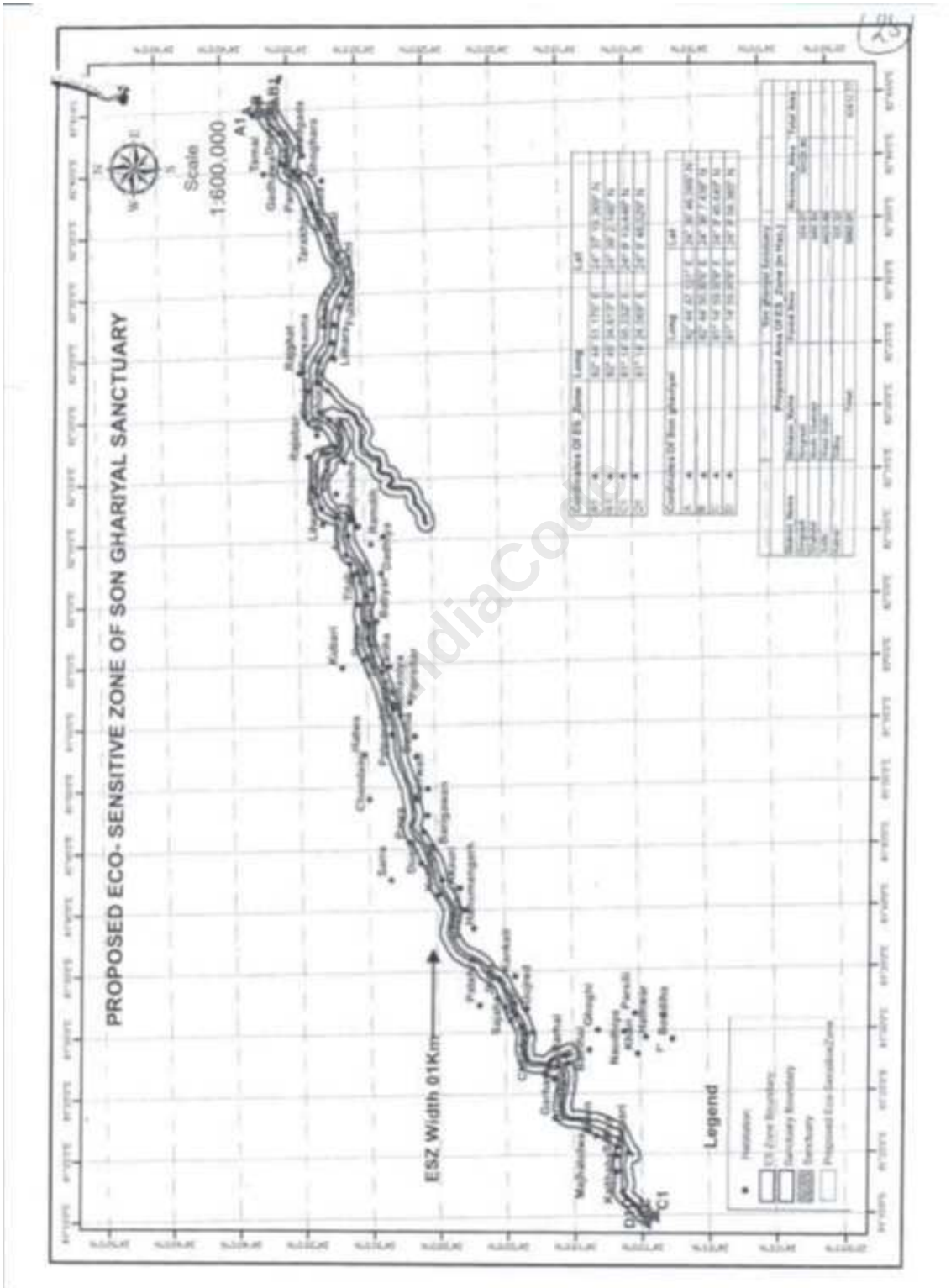
(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I

Map of the Eco-sensitive Zone



Coordinates of Son Ghariyal Wildlife Sanctuary		
	Longitude	**Latitude**
A	82^0 44'47.131"E	24^0 36'46.069"N
B	82^0 44'50.876"E	24^0 36'7.438"N
C	81^0 14'59.978"E	24^0 9'45.640"N
D	81^0 14'59.978"E	24^0 9'56.385"N

Coordinates of Eco Sensitive Zone of Son Ghariyal Wildlife Sanctuary		
	Longitude	**Latitude**
A1	82^0 44'51.175"E	24^0 37'19.269"N
B1	82^0 45'34.613"E	24^0 36'2.146"N
C1	81^0 14'55.232"E	24^0 9'13.446"N
D1	81^0 14'24.569"E	24^0 9'48.529"N

IndiaCode

Annexure II

List of villages with Co-ordinates falling within the Eco-sensitive zone

S.N.	Name of Place	Late_D	Late_M	Late_S	Long_D	Long_M	Long_S	Late_DD	Long_DD
1	Parsili	24	10	21.73	81	31	26.94	24.1727	81.52415
2	Chamaradol	24	8	19.2	81	31	12	24.13867	81.52
3	Khari	24	10	10.76	81	28	8.7	24.16966	81.46908
4	Naudhiya	24	11	10.76	81	29	57.6	24.18632	81.49933
5	Ghoghi	24	13	8.8	81	30	7.52	24.21911	81.50209
6	Sajaha	24	19	58.04	81	32	6.04	24.33279	81.53501
7	Khatai	24	31	30.47	82	33	23.11	24.52513	82.55642
8	Gangi	24	31	9.71	82	29	58.46	24.51936	82.49957
9	Khaira	24	31	55.52	82	27	32.58	24.53209	82.45905
10	Tariha	24	28	51.93	81	59	20.2	24.48109	81.98894
11	Sarra	24	28	24.021	81	42	31.623	24.47334	81.70878
12	Duara	24	26	9.768	81	43	51.2	24.43605	81.73089
13	Pawa	24	27	0.764	81	45	35.107	24.45021	81.75975
14	Dharauli Khurd	24	32	3.22	82	26	4.72	24.53423	82.43464
15	Lilhara	24	31	59.45	82	24	45.67	24.53318	82.41269
16	Parsauna	24	33	76	82	23	47.79	24.57111	82.39661
17	Shikarganj	24	17	8.207	81	26	36.579	24.28561	81.44349
18	Jhala	24	20	32.169	81	32	46.16	24.34227	81.54616

S.N.	Name of Place	Late_D	Late_M	Late_S	Long_D	Long_M	Long_S	Late_DD	Long_DD
19	Rajghat	24	34	34.58	82	23	38.43	24.57627	82.39401
20	Khairpur	24	33	54.549	82	22	13.857	24.56515	82.37052
21	Kunjhun Khurd	24	30	27.53	82	11	11.16	24.50765	82.18643
22	Kunjhun Kala	24	30	36.175	82	11	13.074	24.51005	82.18697
23	Atraila	24	30	37.13	82	7	25.53	24.51031	82.12376
24	Jokaha	24	30	54.109	82	7	12.94	24.51503	82.12026
25	Tilai	24	29	30.134	82	6	5.686	24.4917	82.10158
26	Panwar	24	34	13.355	82	39	37.466	24.57038	82.66041
27	Gadhawa	24	35	33.63	82	40	41.54	24.59268	82.67821
28	Baghor	24	33	20.74	82	18	40.56	24.55576	82.31127
29	Madariya	24	32	8.94	82	17	46.06	24.53582	82.29613
30	Kubari	24	31	50.47	81	59	44.52	24.53069	81.9957
31	Bhitari	24	26	31.11	81	49	10.51	24.44198	81.81959
32	Dithaura	24	20	26.36	81	34	24	24.34066	81.57333
33	Ghughata	24	19	13.35	81	31	26.38	24.32038	81.52399
34	Chandreh	24	18	1.11	81	30	0	24.30031	81.5
35	Durgapur	24	15	23.99	81	27	26.46	24.25666	81.45735
36	Kuan	24	13	20.61	81	21	33.17	24.22239	81.35921
37	Majhatolwa	24	13	49.21	81	21	57.7	24.23034	81.36603
38	Baghard Dhabaiya	24	16	26.6	81	26	9.41	24.27406	81.43595
39	Gujred	24	18	23.52	81	31	56.93	24.30653	81.53248
40	Chandaini	24	29	56.85	81	49	2.2	24.49913	81.81728
41	Deoghata	24	26	29.45	81	54	5.05	24.44151	81.9014
42	Tariha	24	28	54.13	81	59	21.27	24.4817	81.98924
43	Hanumangarh	24	22	16.81	81	38	30.62	24.37134	81.64184
44	Khairi	24	18	49.81	81	30	26.65	24.31384	81.5074
45	Sajaha	24	19	59.58	81	32	5.22	24.33322	81.53478
46	Akauri	24	23	15.47	81	41	46.2	24.38763	81.69617
47	Nakjharkhurd	24	32	2.91	82	13	52.14	24.53414	82.23115
48	Kekrai	24	34	31.88	82	40	1.42	24.57552	82.66706
49	Ghoghara	24	32	33.22	82	39	12.75	24.54256	82.65354
50	Bardi	24	32	28.95	82	22	14.55	24.54138	82.37071
51	Lauar Paipkhar	24	31	41.68	82	19	33.95	24.52824	82.3261
52	Lauar Nankar	24	32	25.18	82	19	53.88	24.54033	82.33163
53	Khuteli	24	31	21.93	82	16	28.45	24.52276	82.27457
54	Nakjhar kalan	24	30	58.11	82	12	3.69	24.51614	82.20103
55	Lilwar	24	33	5.16	82	11	24.29	24.55143	82.19008
56	Rampur	24	33	8.7	82	12	43.38	24.55242	82.21205
57	Amadei	24	31	24.44	82	8	53.57	24.52346	82.14821
58	Ramnagar Khurd	24	31	13.8	82	10	26.43	24.5205	82.17401
59	Baliyar	24	29	11.16	82	3	30.48	24.48643	82.05847
60	Ramdih	24	28	37.69	82	10	18.36	24.47714	82.17177
61	Khetauhi	24	28	16.32	81	59	44.91	24.4712	81.99581
62	Chamrauha	24	31	7.5	82	8	9.6	24.51875	82.136

IndiaCode

S.N.	Name of Place	Late_D	Late_M	Late_S	Long_D	Long_M	Long_S	Late_DD	Long_DD
63	Chhitawalkhurd	24	32	58.74	82	36	13.41	24.54965	82.60373
64	Patpara	24	28	9.03	81	54	15.99	24.46918	81.90444
65	Salaiya	24	28	3.18	81	56	22.79	24.46755	81.93966
66	Tamai	24	36	50.23	82	39	52.54	24.61395	82.66459
67	Kajardah	24	33	10.65	82	20	32.73	24.55296	82.34243
68	Dhobauhi	24	33	0.17	82	17	18	24.55005	82.28833
69	Sattiha	24	33	50.66	82	14	26.22	24.56407	82.24062
70	Sihawal	24	33	26.73	82	13	46.51	24.55743	82.22959
71	Dheku	24	33	34.09	82	19	59.48	24.55947	82.33319
72	Chikni	24	30	51.61	82	30	57.49	24.51434	82.51597
73	Rehada	24	32	6.53	82	34	51.05	24.53515	82.58085
74	Hatwa	24	30	15.61	81	52	40.24	24.50434	81.87784
75	Demha	24	26	23.02	81	52	27.72	24.43973	81.87437
76	Rojhauha	24	30	59.052	82	11	42.643	24.5164	82.19518
77	Kukaraon	24	30	44.919	24	30	44.919	24.51248	24.51248
78	Piprohar	24	26	48.77	81	56	52.88	24.44688	81.94802
79	Koldaha	24	24	53.433	81	41	15.972	24.41484	81.68777
80	Mohaniya	24	27	31.846	81	55	50.29	24.45885	81.93064
81	Jhagari	24	19	19.401	81	32	21.389	24.32206	81.53927
82	Umariya	24	29	31.02	82	9	43	24.49195	82.16194
83	Dawa	24	30	5.811	82	0	25.257	24.50161	82.00702
84	Bahera	24	29	42.563	82	1	32.218	24.49516	82.02562
85	Barigawan	24	25	10.955	81	45	6.631	24.41971	81.75184
86	Kurrwah	24	25	33.46	81	49	50.16	24.42596	81.8306
87	Bhelki Khurd	24	25	37.2	81	47	42.22	24.427	81.79506
88	Bholgarh	24	22	52.65	81	39	59.32	24.38129	81.66648
89	Titali	24	30	35.8	82	4	53.69	24.50994	82.08158
90	Thatara	24	35	27.71	82	47	34.65	24.59103	82.79296
91	Chhiwalhawa	24	35	35.41	82	47	16.95	24.59317	82.78804
92	Godgawan	24	37	32.59	82	44	33.58	24.62572	82.74266
93	Kankati	24	19	14.29	81	34	34.27	24.32064	81.57619
94	Bairihai	24	13	47.27	81	28	31.68	24.2298	81.47547
95	Patehra	24	21	55.03	81	32	15.09	24.36529	81.53753
96	Sehuda Viran	24	29	54.27	82	5	32.32	24.49841	82.09231
97	Duraon Viran	24	29	54.83	82	7	25.35	24.49856	82.12371
98	Sarseda	24	33	11.49	82	22	54.45	24.55319	82.38179
99	Dadhiya	24	28	45.85	82	7	20.71	24.4794	82.12242
100	Sariya	24	11	50.6	81	19	54.02	24.19739	81.33167
101	Kaithaha	24	11	45.6	81	18	34.82	24.196	81.30967
102	Hathwar	24	9	34.1	81	29	27.72	24.15947	81.49103
103	Boddiha	24	7	36.33	81	29	17.77	24.12676	81.48827
104	Paipkhara	24	12	38.18	81	21	33.64	24.21061	81.35934
105	Barhai	24	15	34.17	81	28	3.66	24.25949	81.46768
106	Bajriya	24	37	9.854	82	45	47.821	24.6194	82.76328

IndiaCode

S.N.	Name of Place	Late_D	Late_M	Late_S	Long_D	Long_M	Long_S	Late_DD	Long_DD
107	Kesauli	24	33	58.973	82	19	39.34	24.56638	82.32759
108	Tarakhiya	24	33	18.24	82	37	25.65	24.55507	82.62379
109	Fulkesh	24	31	28.72	82	28	59.9	24.52464	82.48331
110	Deeghar	24	35	36.8	82	43	2.08	24.59356	82.71724
111	Badgada	24	33	55.62	82	41	14.95	24.56545	82.68749
112	Damgadi	24	33	40.84	82	14	15.62	24.56134	82.23767
113	Khadbada	24	30	9.65	82	3	34.68	24.50268	82.05963
114	Kesauli	24	34	3.82	82	16	57.89	24.56773	82.28275
115	Kotdar Kala	24	28	7.27	81	56	47.7	24.46869	81.94658
116	Kotdar Khurd	24	28	4.9	81	57	42.08	24.46803	81.96169
117	Kathautaha	24	24	35.73	81	42	28.91	24.40993	81.70803
118	Bhelaki kala	24	25	56.504	81	46	23.811	24.43236	81.77328
119	Garhara	24	16	25.45	81	22	59.818	24.27374	81.38328
120	Hariari	24	11	45.316	81	20	37.057	24.19592	81.34363
121	Marsarha	24	29	40.488	82	3	17.583	24.49458	82.05488
122	Rajabar	24	34	15.889	82	20	9.808	24.57108	82.33606

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
 Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment

 (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

[F.No.25/62/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI , Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.20 15:28:48 +05'30'